

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-16/18 राजस्व वाद

1. श्री चन्द्रपालसिंह आत्मज धनश्यामसिंह राजपूत उम्र बालिग निवासी वी-178, नन्दकिशोर पार्सिक मार्ग, बापू नगर, जयपुर राज0 ---वादी

बनाम

1. श्री पारसनाथ आत्मज तेजा जोगी उम्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्री भोमनाथ आत्मज तेजा जोगी उम्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
3. श्री मोतीनाथ आत्मज तेजा जोगी उम्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
4. टिपु पुत्री तेजा जोगी उम्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
5. श्री प्रकाशनाथ आत्मज तेजा जोगी उम्र नाबालिग वा0वि0 माता श्रीमती कंसी देवी पत्नि तेजा जोगी, निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
6. सीता पुत्री तेजा जोगी उम्र नाबालिग वा0वि0 माता श्रीमती कंसी देवी पत्नि तेजा जोगी, निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
7. श्रीमती कंसी देवी पत्नि तेजा जोगी, उम्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा राज0
8. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार करेडा ---प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0ए0 1955 प्र0स0 16/18 राजस्व वाद दिनांक - 11.06.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में बहस समाहित की गई। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गाजुणा पटवार हलका शिवपुर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिये जाते है।

वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 53 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:-

1- श्री ताराचन्द जैन

निर्णय :-

अधिवक्ता-वादी

दिनांक:- 11.06.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार बटवांडा प्रस्ताव प्राप्त। अतः ग्राम गाजुणा पटवार हलका शिवपुर तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिये जाते है।

(1) खातेदार का नाम- चन्द्रपाल सिंह पिता धनश्याम सिंह राजपूत सा0 जयपुर

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	3593/2	0.08 बीघा	-	0.18
2	3594	0.02 बीघा	-	0.08
3	3595/2	1.09 बीघा	-	1.16
4	3597/1	0.12 बीघा	-	0.48
5	3598/1	0.12 बीघा	-	0.48
6	3599	0.08 बीघा	-	0.32
7	3601/4	2.04 बीघा	-	1.00
कुल कित्ता	7	रकबा 5.15 बीघा	-	3.70

(2) खातेदार का नाम- पारसनाथ, भोमनाथ, मोतीनाथ, प्रकाशनाथ, टीपू, सीता पिता तेजा, प्रकाशनाथ, सीता ना0बा0 वा0वि0 माता कंसी देवी, कंसी देवी पत्नि तेजा जोगी सा0देह

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	3594/1	0.12 बीघा	-	0.48
2	3595/3	1.10 बीघा	-	1.20
3	3597	0.12 बीघा	-	0.48
4	3598	0.12 बीघा	-	0.48
5	3600	0.03 बीघा	-	0.12
6	3601/2	2.07 बीघा	-	1.05
कुल कित्ता	6	रकबा 5.16 बीघा	-	3.81

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिक्न खर्चा अपना-अपना वहन करे।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेशल सुभार होकर नम्बर से कम हो।

रजनी माधीवाल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर करेडा

(डिक्री)

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री चन्द्रपालसिंह आत्मज धनश्यामसिंह राजपूत उग्र बालिग निवासी वी-178, नन्दकिशोर पारीक मार्ग, बापू नगर, जयपुर राज0

--वादी

बनाम

1. श्री पारसनाथ आत्मज तेजा जोगी उग्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
2. श्री भोमानाथ आत्मज तेजा जोगी उग्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
3. श्री मोतीनाथ आत्मज तेजा जोगी उग्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
4. टिपु पुत्री तेजा जोगी उग्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
5. श्री प्रकाशनाथ आत्मज तेजा जोगी उग्र नाबालिग बा0वि0 माता श्रीमती केसी देवी पत्नि तेजा जोगी, निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
6. सीता पुत्री तेजा जोगी उग्र नाबालिग बा0वि0 माता श्रीमती केसी देवी पत्नि तेजा जोगी, निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
7. श्रीमती केसी देवी पत्नि तेजा जोगी, उग्र बालिग निवासी गाजुणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा

--प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत घास 53-54 रा0टि0ए0 1955 प्र0स0 16/18 राजस्व वाद दिनांक -

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिरमल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी गिनजानिव मुददई व श्री ताराचन्द जेन मनलाभिव मुदाबला पेश होकर हुगम दिया जाता है कि कि डिक्री दी जाती है कि याम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर, तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड मे अकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करे।

(1) खातेदार का नाम- चन्द्रपाल सिंह पिता धनश्याम सिंह राजपूत सा0 जयपुर

क्र.स	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	3593/2	0.08 बीघा	-	0.18
2	3594	0.02 बीघा	-	0.08
3	3595/2	1.09 बीघा	-	1.16
4	3597/1	0.12 बीघा	-	0.48
5	3598/1	0.12 बीघा	-	0.48
6	3599	0.08 बीघा	-	0.32
7	3601/4	2.04 बीघा	-	1.00
कुल कित्ता	7	रकबा 5.15 बीघा	-	3.70

(2) खातेदार का नाम- पारसनाथ, भोमानाथ, मोतीनाथ, प्रकाशनाथ, टिपू, सीता पिता तेजा, प्रकाशनाथ, सीता मा0बा0 बा0वि0 माता केसी देवी, केसी देवी पत्नि तेजा जोगी सा0देह

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	3594/1	0.12 बीघा	-	0.48
2	3595/3	1.10 बीघा	-	1.20
3	3597	0.12 बीघा	-	0.48
4	3598	0.12 बीघा	-	0.48
5	3600	0.03 बीघा	-	0.12
6	3601/2	2.07 बीघा	-	1.05
कुल कित्ता	6	रकबा 5.16 बीघा	-	3.81

आज तारीख 11.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।
(वादपत्र की प्रति साथ संलग्न है।)

(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा